क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	04.12.17	पत्रावली पेश हुई। वादीया-अधिवक्ता उपस्थित। वादी/द्वारा प्रस्तुत सम्मन जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगणों की तामील हेतु पत्रावली दिनांक 29/12/2017 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम), जयपुर	6262-70 6/12
		आज दिनांक 29-12-17 को पत्रावली पेश हुई पी.ओ.सा. अवकाश/अन्य राजकार्य पर/कंडोलैंस है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 04/1/18 को पेश हो। (02606 की ओर से श्री अनिल कुमार शर्मा Adv. द्वारा वकालतनामा पेश किया गया था।)	
		आज दिनांक 04.1.18 को पत्रावली पेश हुई पी.ओ.सा. अवकाश/अन्य राजकार्य पर/कंडोलैंस है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 09.1.18 को पेश हो।	
		आज दिनांक 09.1.18 को पत्रावली पेश हुई पी.ओ.सा. अवकाश/अन्य राजकार्य पर/कंडोलैंस है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11.1.18 को पेश हो।	
	11.01.18	पत्रावली पेश हुई। वास्ते ... फरीकैन उपस्थित। वादिया स्वयं लछमा व मतीं का पुत्र कजोड़ व विपक्षी मय उनके अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण 7, 8 की ओर से श्री पवन कुमार शर्मा Advocate तथा प्रतिवादी 01 की ओर से श्री श्यामसुन्दर खण्डेलवाल Adv. द्वारा वकालतनामे प्रस्तुत किये गये। वादिया की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा ... व पक्षकारों की ओर से ... किया गया/पक्षकार जो कि न्यायालय में उपस्थित आये उनकी ओर से यह निवेदन किया	कजोड़ Identified by ... M Pareek

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 16:22:19 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

मन्नी बनाम गोपीराम

नाम न्यायालय S.D.O. Jaipur

केस संख्या JPR

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
वो. भागचन्द प्रभु स्व./शर्मा धोद्ध नि. अंगूठा बद्री Identified by me A Sharma Adv. दीनदयाल? Identify by ...		गया कि वह मुताबिक राजीनामें के अनुसार पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने की वजह से वह अब और वाद-पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते है। राजीनामा प्रार्थना-पत्र के साथ दस्तावेज सूची के साथ दस्तावेज पेश शामिल मिसल रहे। न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजीनामें के अवलोकन तथा मौखिक निवेदन के आधार पर राजीनामा प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण को न्यायालय में विचाराधीन वाद को मुताबिक राजीनामा निस्तारित किया जाता है। राजीनामा प्रा.पत्र शा.मिसल रहे। पत्रावली फैसल-शुमार, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सेर इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम), जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 16:22:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी

जयपुर महानगर

मन्नी वगै. बनाम गोपीराम वगै.

राजीनामा

श्रीमान् जी

पक्षकारान का राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं :–

1. यह है कि ग्राम मालपुरा डूंगर पटवार क्षेत्र सुमेल तहसील व जिला जयपुर में खसरा नं. 62/119 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि, खसरा नं. 48 रकबा 16 बिस्वा भूमि, खसरा नं. 53 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि, खसरा नं. 57रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि, खसरा नं. 55 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं. 60 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है।

2. यह है कि खसरा नं. 62/119 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि लाद्या वल्द जयकिशन के नाम खातेदारी दर्ज थी। खसरा नं. 48 में रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं. 53 में रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 57 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा लाद्या व जगन्नाथ पुत्रान जयकिशन के नाम खातेदारी दर्ज थी। खसरा नं. 55 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं. 60 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा लाद्या व जगन्नाथ पुत्रान जयकिशन हिस्सा बराबर 1/2 व

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 16:22:19 IST
Reason: SelfAttested

मूल्या पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 के नाम खातेदारी दर्ज थी। लादया का देहान्त हो गया। लादया की मृत्यु के पश्चात लादया के तीन पुत्र व दो पुत्रियां एवं लादया की पत्नि उनके वारिसान मौजूद थे। जो क्रमश बालू, गोपीराम व रामू, मन्नी, नारायणी व लादया की पत्नि सुन्दरी थे। इनमें से भी बालू, रामू, नारायणी, सुन्दरी का देहान्त हो गया। बालू के वारिस कैलाश, प्रभु, रमेशचन्द उर्फ काल्या, छोटू व नर्बदा है। रामू का देहान्त वर्ष 2012 में हो गया जिसके कोई सन्तान नहीं है। नारायणी का देहान्त वर्ष 2010 में हो गया जिसके वारिस गोपाल व दीपचन्द उर्फ दीपू है। सुन्दरी के देहान्त वर्ष 1999 में हो गया। लछमा सुन्दरी की अंतिम इच्छा से वसीयती अधिकारी है। इस प्रकार लादया की मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति के 6 हिस्सेदार वारिस है। इनमें से मन्नी व लछमा ने अन्य वारिसान के विरूद्ध घोषणा का वाद पेश किया है। लादया की वारिसान के मध्य परिवारजन व रिश्तेदारान ने राजीनामा करवा दिया है। जिससे सभी पक्षकारान पाबन्द रहेंगे।

यह है कि रामू ने अपने हिस्से के सम्बन्ध में बालू के पुत्रान कैलाश, प्रभु, रमेशचन्द उर्फ काल्या, छोटू, नर्बदा के हिस्सा 1/2 एवं गोपी के पुत्रान नानगराम, दयाल, कानाराम, बाबूलाल, विनोद को हिस्सा 1/2 का वसीयती अधिकारी घोषित किया है इसमें किसी भी पक्षकारान को आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 16:22:19 IST
Reason: SelfAttested

ख– यह है कि गोपी के नाम दर्ज भूमि में एक बहिन का हिस्सा दर्ज हो गया है। गोपी के हिस्से में से नारायणी के हिस्से की भूमि उसके पुत्रान गोपाल व दीपचन्द के नाम खातेदारी इन्द्राज कराने के अधिकारी है। इस प्रकार गोपी के नाम इन्द्राज हिस्से में से 1/2 हिस्से में गोपी व 1/2 हिस्से में गोपाल व दीपचन्द्र स्वामी व अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड में इसी अनुरूप इन्द्राज करवाया जा सकेगा।

ग. यह है कि सुन्दरी का हिस्सा बालू, गोपी, रामू के हिस्से में बराबर बराबर इन्द्राज है। इसमें वादिया लछमा अपने अधिकारों का परित्याग करती है। सुन्दरी के हिस्से बाबत पूर्व में इन्द्राजअब किसी को कोई एतराज नहीं है।

घ यह है कि बालू के हिस्से में एक बहिन का हिस्सा शामिल है। किन्तु बालू के वारिसान ने वादिया मन्नी को उसके हिस्से की भरपाई अन्य रूप में कर दी है। अब वादिया मन्नी अपने हक का परित्याग बालू के वारिसान के हक में कर रही है। इसमें अब मन्नी को कोई आपत्ति नहीं है व शेष पक्षकारान को भी कोई आपत्ति नहीं है।

5. यह है कि गोपी ने अपने जीवनकाल में ही लादया व सुन्दरी की पैतृक भूमि का बटवारा कर दिया था व अपनी संतान के हिस्से का कब्जा लछमा को सम्भला दिया था अब पारिवारिक सेटलमेन्ट दिनांक 6.11.2000 को मुताबिक राजस्व रिकार्ड हिस्सा 1/8 के अनुरूप बराबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 16:22:19 IST
Reason: SelfAttested

बराबर से इन्द्राज करवाने के अधिकारी है।

च. खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थीगण (वादीगण)

(मुख्त्यार आम मन्त्री)

नि.

Identified by

Identified by me

प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

Identified by me

Identified by me

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 16:22:19 IST
Reason: SelfAttested